

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग उ0 प्र0 की विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में।

कृपया राज्य कर विभाग के विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों में भूमि/प्रॉपर्टी का चिन्हांकन करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके अधीनस्थ जनपदों में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिन जनपदों में विभागीय भूमि उपलब्ध है, की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य एवं कार्यालय/आवासीय भवनों में चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जोन में उपलब्ध विभागीय भूमि/कार्यालय/आवासीय भवनों/प्रॉपर्टी की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तो उसकी अद्यतन सूचना उपलब्ध कराये, यदि चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है तो भूमि का भौमिक निरीक्षण करते हुए चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु तीन राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के आगणन प्रस्ताव प्राप्त करते हुए प्राप्त आगणन प्रस्तावों का सक्षम स्तर से मूल्यांकन कराते हुए यथाशीघ्र मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर उ0 प्र0 महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पू0पू0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार- अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

22/03/23
7004